20/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 328/14

तारीख रजू– 03/12/2014

1– रामखिलाड़ी पुत्र कौरया जाति माली निवासी मालियों की चौकी तहसील गंगापुर सिटी।(फौत)
1/1 अमरसिंह पुत्र रामखिलाड़ी जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
1/2 धर्मसिंह पुत्र रामखिलाड़ी जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
1/3 झूना बेवा रामखिलाड़ी जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
1/4 काड़ी पुत्री रामखिलाड़ी पत्नि प्रेमराज जाति माली निवासी बाटौदा तह0 बामनवास।
1/5 सुशीला पुत्री रामखिलाड़ी पत्नि महेन्द्र जाति माली निवासी चकछावा की बगीची।
2– शांतिलाल पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
3– मुकेश पिसरान रामजीलाल जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
4– कमला बेवा रामजीलाल जाति माली निवासी मालियों की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
5– पार्वती पुत्री रामजीलाल पत्नी बच्चूसिंह जाति माली निवासी नौगॉव तहसील गंगापुर सिटी।
6– शीला पुत्री रामजीलाल पत्नी गोपाल जाति माली निवासी सिमर तहसील सपोटरा जिला करौली।
7– शिमला पुत्री रामजीला पत्नी रूपसिंह जाति माली निवासी सिमर तहसील सपोटरा जिला करौली।
8– सीमा पुत्री कोरया पत्नी देवीराम जाति माली निवासी पिपलाई तहसील बामनवास।
9– कलावती पुत्री कोरया पत्नी भरतलाल जाति माली निवासी ग्राम पिपलाई तहसील बामनवास।
10– चमेली पुत्री कोरया पत्नी रामचरण जाति माली निवासी बाटौदा तहसील बामनवास।

----------अपीलान्ट

बनाम

1– रामसहाय पुत्र श्रवण जाति माली निवासी मालियो की चौकी तहसील गंगापुर सिटी।
1/1 बुधराम पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी मालियो की चौकी गंगापुर सिटी।
1/2 मुरारी पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी मालियो की चौकी गंगापुर सिटी।
1/3 राजन्ती पुत्री रामसहाय पत्नी कैलाश जाति माली निवासी नौगॉव तह0 गंगापुर सिटी।
1/4 रेशम पुत्री रामसहाय पत्नी श्यामलाल जाति माली निवासी नौगॉव तह0 गंगापुर सिटी।
1/5 रूमाली पुत्री रामसहाय पत्नी भरोसी जाति माली निवासी पिपलाई।
1/6 धप्पो बेवा रामसहाय जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
2– बत्तीलाल पुत्र परसादी जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
3– बाबूलाल पुत्र रूपचन्द जाति गुर्जर निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी।
4– मोती पि0 हजारी जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
5– पप्पू पि0 हजारी जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
6– बसन्ती बेवा हजारी जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।
7– लक्ष्मीनारायण पुत्र कौरया जाति माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी।

------------ रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 16/05/2018

अपीलान्टगण ने यह अपील न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के मुं0नं0 27/11 परसादी बनाम [illegible] में पारित निर्णय दिनांक 21/12/2011 विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम मालियों की [illegible] 1000/1 रकबा 0.13 है0, खं0नं0 1001 रकबा 0.36 है0, खं0नं0 1008 रकबा 0.33 है0, खं0नं0 [illegible] रकबा 0.15 है0, खं0नं0 1199/1007 रकबा 0.15 है0, खं0नं0 1199/1007 रकबा 0.11 है0, खं0नं0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

21/A

[illegible]/2 रकबा 0.19 है0, खं0नं0 1000/2 रकबा 0.18 है0 का आपसी सहमति से विभाजन किया गया था, साथ [illegible] तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/12/2011 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई रेस्पो0 सं0 2 [illegible] बावजूद *तामील उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध* एक तरफा कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की [illegible] प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि [illegible] ने गलत रूप से साज कर सहखातेदारी भूमि में से अपीलार्थी के दादाजी कोरया के हिस्से में मात्र [illegible] 1000/2 रकबा 0.18 है0 भूमि बंटवारे में दी है, जबकि रेवेन्यु रिकोर्ड में दर्ज हिस्से के मुताबिक अपीलार्थी [illegible] दादाजी कोरया के हिस्से में 0.33 है0 रकबा आना चाहिए था। लेकिन रेस्पोडेन्टान नें 0.18 है0 ही अपीलार्थी [illegible] बंटवारे में दिया है जिसकी अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी। क्योकि अपीलार्थी अनपढ व अशिक्षित व्यक्ति है [illegible] अंगूठा लगाना जानता है। उससे रेस्पोडेन्टान ने कहा था कि उसके हिस्से में जितनी भूमि आनी थी उसका [illegible]-पृथक रूप से उसके हिस्से में नम्बर अंकित कर दिया है। अपीलार्थी आज तक भीं 0.33 है0 रकबे पर [illegible] कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 31/07/2012 को रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थी को बताया कि बंटवारे में [illegible] हिस्से में केवल 0.18 है0 भूमि आयी है। **इस प्रकार निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद [illegible] होने से निरस्तनीय है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने** न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के मुं0नं0 27/11 [illegible] बनाम रामसहाय में पारित निर्णय दिनांक 21/12/2011 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय [illegible] व विधि के अनुसार हैं। उक्त वाद आराजीयात का बटवांरा आपसी सहमति से हुआ है तथा अपीलान्ट [illegible] दादाजी कोरया की सहमति से ही बटवारा हुआ है तथा उक्त बंटवारा से कोरया स्वयं संतुष्ट नहीं था तो वह [illegible] जीवनकाल में ही उक्त बंटवारा के संबंध में अपील प्रस्तुत कर सकते थे, साथ ही **वकील अपीलान्ट ने** [illegible] तहसीलदार गंगापुर सिटी के मुं0नं0 27/11 परसादी बनाम रामसहाय में पारित निर्णय दिनांक [illegible]12/2011 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का गहन अध्ययन व मनन किया गया । सर्वप्रथम यह पाया [illegible] कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/12/2011 के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक अपील राजस्व [illegible] प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई [illegible] द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24/09/14 द्वारा अपीलांट को मयाद में शिथिलता प्रदान करते हुए अपील [illegible] न्यायालय में पेश करने हेतु अनुमति दी। तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible]। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के पूर्वज कोरया व रेस्पों [illegible] एक आवेदन पत्र दावा तकासमा अर्न्तगत धारा 53 रा0का0 अधिनियम के अर्न्तगत तहसीलदार गंगापुर सिटी [illegible] प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार ने उक्त आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आपसी [illegible] से खातेदारी भूमि का बंटवारा किया जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता/अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती [illegible] ने अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का फेरबदल करना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उक्त विवेदन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा [illegible] आदेश दिनांक 21.12.11 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.5.18 को खुले न्यायालय [illegible] गया ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर